

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

21/12/28

पत्रावली के माह में (कमिशन का भी) धार्मिक
कार्य नहीं हुए। मूल पाठ आरम्भ करने
व तलबी अवकाश में आरंभ हो चुका
है अतः पत्रावली में कार्यवाही आदि नहीं
है। अतः T. I. पत्रावली अंतर्गत
0-9, R-3 का भी एवं 0-9, R-5 का भी
के तहत एतद्वारा आरंभ की जानी
है। पत्रावली फॉर्मल सुझाव लेकर
नंबर से कम की जाकर हाथिल
दफ्तर है। आदेश सुले न्यायालय
में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर
न्यायालय सुना से जारी किया
जाया।

उपरवर्णित अधिकारी
साँभर लेक

